न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 21/2021
जी.सी.एम.एस रजिस्ट्रेशन नं. :2021/26

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा हाल उदयपुर (राज)

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री राजमल सारगिया पुत्र श्री शांतिलाल सारगिया मालिक विक्रेता मैसर्स सारगिया शांतिलाल एण्ड सन्स, दाहोद रोड वन विभाग के सामने, कॉमर्शियल एरिया, बॉसवाडा जिला बॉसवाडा, स्थायी पता 240, कॉमर्शियल एरिया, बॉसवाडा जिला बॉसवाडा
2. श्री किर्ती कुमार अमृतलाल शाह, पार्टनर मैसर्स शाह अमृतलाल हिरालाल एण्ड कम्पनी, 1429/1 विनोद चेम्बर के सामने, नवा मधुपुरा, अहमदाबाद गुजरात, 380004 स्थायी पता – Hermitage Bunglows, Amli Bopal Road, Opp amrut bag party plot, Daskroi, Ahmadabad Ambli, Gujrat-380058
3. श्री भूषण किर्ती कुमार शाह, पार्टनर मैसर्स शाह अमृतलाल हिरालाल एण्ड कम्पनी, 1429/1 विनोद चेम्बर के सामने, नवा मधुपुरा, अहमदाबाद गुजरात, 380004 स्थायी पता – Hermitage Bunglows, Amli Bopal Road, Opp amrut bag party plot, Daskroi, Ahmadabad Ambli, Gujrat-380058
4. मैसर्स शाह अमृतलाल हिरालाल एण्ड कम्पनी, 1429/1 विनोद चेम्बर के सामने, नवा मधुपुरा, अहमदाबाद गुजरात, 380004

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 11.08.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा हाल उदयपुर (राज) के द्वारा दिनांक 15–06–2021 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 22–10–2020 को 12.25 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु मैसर्स सारगिया शांतिलाल एण्ड सन्स, दाहोद रोड वन विभाग के सामने, कॉमर्शियल एरिया, बॉसवाडा पर पहुंचे उस समय संस्थान पर श्री राजमल सारगिया पुत्र श्री शांतिलाल सारगिया उपस्थित थे की दुकान का निरीक्षण करने पर एक कार्टून में Hirakani Natural Jaggery के 950 ग्राम वाले 15 पैकेट्स जनता को विक्रय हेतु पाये। इसमें मिस ब्राण्डेड, सब स्टेण्डर्ड, अनसेफ का शक होने पर विक्रेता

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.01.28 10:58:32 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

को फार्म नं. 5ए पर मूल ही कम्पनी, पैक, सील बन्द स्थिति में वास्ते जॉच हेतु खरीदने की सूचना देते उक्त **Hirakani Natural Jaggery के 950 ग्राम वाले 4 पैकेट्स** मूल ही वास्ते जॉच खरीदे तथा इनकी कीमत 260 रु. विक्रेता को चुका कर बिल प्राप्त किया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। वास्ते निरीक्षण खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/ रजिस्ट्रेशन–2020 का दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **Hirakani Natural Jaggery के 950 ग्राम वाले 4 पैकेट्स** पर फार्म नं.5 ए पर वर्णित सभी जानकारियॉ अंकित पायी गयी। इन खरीदशुदा उक्त 4 मूल पैकेट को प्लास्टिक के चार साफ सुखे व खाली जारो में बराबर मात्रा में (प्रत्येक जार में उक्त खाद्य पदार्थ का 950 ग्राम का 1 मूल पैकेट रखकर) प्रत्येक जार का मुह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाईड बन्द किया। चारो जारो को लेबल जिस पर अभिहित अधिकारी खाध सुरक्षा एवं मुख्य चिकि.एवं स्वा. अधिकारी बॉसवाडा के कोड व सिरीयल नंबर W-623 नमूना सम्बन्धित जानकारी मय गवाहान एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर चिपकाया। प्रत्येक नमूना जार को नियमानुसार सील बन्द कर अपने जाप्ते में किया। विक्रेता को मौके पर नमुने के चौथे भाग की जॉच NABL Lab से करवाने की जानकारी दी गई। उक्त चार नमुना भागो में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2020/258 दिनांक 06.11.2020 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 206 दिनांक 01.11.2020 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **Hirakani Natural Jaggery** Contravention of Regulation 2.2.2(10) of food safety & standards (Pakaging & Labelling) Regulation 2011 पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf) के तहत मिस ब्राण्डेड होना पाया तथा 3(1)(Zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड पाया गया। अभियुक्तगण सं. 1 से 4 द्वारा **Hirakani Natural Jaggery** मिस ब्राण्डेड तथा सबस्टेर्न्डड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर [illegible] अधिनियम की क्रमशः धारा 52 तथा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.01.28 10:58:32 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रकरण दिनांक 16–06–2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 11.08.2021 को अभियुक्तगणो की ओर से श्री हीरालाल जैन व श्री आदित्य चौकसी का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता की ओर से कथन किया गया कि प्रश्नगत **Hirakani Natural Jaggery** मे एवं पैकेट्स पर कुछ आंशिक कमियॉ थी जिन्हे अब दुर कर लिया गया है। अप्रार्थीगणो का यह प्रथम दोष है। न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपीगणो की ओर से अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है। हमने पत्रावली का अवलोकन एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2020 / 258 दिनांक 06.11.2020 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 206 दिनांक 01.11.2020 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **Hirakani Natural Jaggery** Contravention of Regulation 2.2.2(10) of food safety & standards (Pakaging & Labelling) Regulation 2011 पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf) के तहत मिस ब्राण्डेड होना पाया तथा 3(1)(Zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। अभियुक्तगण सं. 1 से 4 द्वारा **Hirakani Natural Jaggery** मिस ब्राण्डेड तथा सबस्टेण्ड्र्ड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(Zf) के तहत मिस ब्राण्डेड तथा 3(1)(Zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड **Basmati Rice Classic Green Label (921)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की क्रमशः धारा 52 तथा 51 का उल्लंघन किया है आरोपीगण दोष सिद्ध घोषित किया जाकर श्री राजमल सारगिया पुत्र श्री शांतिलाल सारगिया, विक्रेता मैसर्स सारगिया शांतिलाल एण्ड सन्स, दाहोद रोड, कृषि मण्डी के सामने, कामर्शियल एरिया, बॉसवाडा जिला बॉसवाडा को रूपये 10,000/– (अक्षरे रूपये दस हजार), श्री किर्ती कुमार अमृतलाल शाह, पार्टनर मैसर्स शाह अमृतलाल हिरालाल एण्ड कम्पनी, 1429/1 विनोद

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.01.28 10:58:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

चेम्बर के सामने, नवा मधुपुरा, अहमदाबाद को रूपये 20,000/– (अक्षरे रू. बीस हजार), श्री भूषण किर्ती कुमार शाह, पार्टनर मैसर्स शाह अमृतलाल हिरालाल एण्ड कम्पनी, 1429/1 विनोद चेम्बर के सामने, नवा मधुपुरा, अहमदाबाद गुजरात को रूपये 20,000/– (अक्षरे रू. बीस हजार मात्र), मैसर्स शाह अमृतलाल हिरालाल एण्ड कम्पनी, 1429/1 विनोद चेम्बर के सामने, नवा मधुपुरा, अहमदाबाद गुजरात को रूपये 20,000/– (अक्षरे रू. बीस हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 11.08.2021 खुले न्यायालय सुनाया गया।

नरेश बुनकर

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
बाँसवाड़ा

न्याय निर्णयन अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.01.28 10:58:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner